# न्यायालय अपर सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट गढ़मुक्तेश्वर हापुड़।

**उपस्थितः–श्री पंकज कुमार– ॥, उ.प्र.न्यायिक सेवा (उ०प्र० 3652)**

UPHP120001122013

वाद सं०–130/2013
पंजीकरण सं०-130/2013
रामवती बनाम नरेन्द्र आदि

**दिनांकः–04.07.2026**

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं। न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित है कि पत्रावली काफी समय से वास्ते सुनवाई हेतु नियत है। वादी विगत कई तिथियों से उपस्थित नहीं आ रहा है, न ही प्रतिवादीगण उपस्थित आ रहे हैं। उभय पक्ष की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। आज भी न्यायालय में बार–बार पुकार करायी गयी, परन्तु उभय पक्षकार उपस्थित नहीं आये। ऐसा परिलक्षित होता है कि वादी को वाद के निस्तारण में कोई रूची नहीं है और वह वाद को अकारण लंबित रखना चाहते हैं, जो कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अतः ऐसी अवस्था में वादी का वाद उभय पक्ष की अनुपस्थिति के कारण आदेश 09 नियम 03 सी.पी.सी. में निरस्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

प्रस्तुत वाद, उभय पक्ष की अनुपस्थिति के कारण आदेश 09 नियम 03 सी.पी.सी. में निरस्त किया जाता है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही पश्चात् दाखिल दफ्तर हो।

**(पंकज कुमार द्वितीय)**
**(जे.ओ. कोड–UP3652)**
**अपर सिविल जज(जू०डि०)/जे.एम.**
**गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।**